प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.05.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध छुरी बरामद।

आज दिनांक 14.05.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गौकशी करने वाले एक शातिर वांछित अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ चिमला पुत्र स्व0 अजीज कुरैशी निवासी मूल पता ग्राम साकरौद थाना खेकड़ा जिला बागपत हाल पता रावली रोड बिलाल मस्जिद के पीछे कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को मय अवैध रूप से पशु कटान करने वाले अवैध छूरी के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ चिमला के विरूद्ध थाना लोनी, ट्रोनिका सिटी, मुरादनगर पर पूर्व में गैंगस्टर, गौकशी, एनडीपीएस एक्ट के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त अवैध रूप से पशु कटान, गौकशी करता है, जोकि थाना लोनी के गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहा था।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त
मुस्तकीम उर्फ चिमला पुत्र स्व0 अजीज कुरैशी निवासी मूल पता ग्राम साकरौद थाना खेकड़ा जिला बागपत हाल पता रावली रोड बिलाल मस्जिद के पीछे कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

अपराधिक इतिहास
1.अभियुक्त मुस्तकीम के विरूद्ध थाना लोनी पर गौकशी व एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत अभियोग की संख्या-02
2.अभियुक्त मुस्तकीम के विरूद्ध अन्य थानों पर पंजीकृत अभियोग की संख्या–08

बरामदगी का विवरण
गौकशी में प्रयुक्त एक अवैध छूरी

गिरफ्तार करने वाली टीम
थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के टोटी के पार्ट्स 65 किलोग्राम व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 12.05.2024 को वादी श्री कार्तिक सोवती पुत्र राजन सोवती निवासी सी-198 आनन्द बिहार दिल्ली द्वारा एक लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा मोटर साइकिल नम्बर UP14FY 5317 से 60 से 70 किलोग्राम टोटी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए टीमों का गठन किया गया व मुखबीर की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 14.05.2024 को उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त मुकेश जोशी पुत्र त्रिलोक जोशी निवासी हनुमान मंदिर मकान नंबर 444 राणा गली गांव कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 24 बर्ष को भारद्वाज कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 प्लास्टिक के बोरा जिसमे टोटी के पार्टस 65 किलो व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।
पूछताछ का विवरण:-अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने दो दिन पहले साहिबाबाद फैक्ट्री से टोटी के ये पार्टस चोरी किए थे आज मैं इन्हीं टोटी के पार्टस को दोनों बोरों में रखकर अपनी मोटर साइकिल से कहीं बेचने की फिराक में था। मै नशा करने का आदी हूँ अपने नशे की पूर्ति के लिये चोरी करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
मुकेश जोशी पुत्र त्रिलोक जोशी निवासी हनुमान मंदिर मकान नंबर 444 राणा गली गांव कड़कड़ मॉडल थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- कब्जे से 02 प्लास्टिक के बोरा जिसमें टोटी के पार्ट्स 65 किलोग्राम व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम
थाना लिंक रोड पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा भैस को खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
कार्यवाही का विवरण: दिनांक 13.05.2024 को वादी चंद्रपाल सिंह पुत्र रामशरण सिंह निवासी म0 नं0 8 ग्राम करहैड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक लिखित तहरीर की दी गयी कि स्कूटी DL11F6527 पर सवार 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की भैस को खाने के लिये कुछ देना जिससे वादी की भैस मर जाने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्काल टीमों का गठन कर मैनुअल इनपुट सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर

खास की सूचना के आधार पर दिनांक 14.05.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1. इस्तकबाल पुत्र मौ0 आफाक निवासी दोताई गढगंगा जनपद हापुड उम्र 37 वर्ष, 2.चाँद पुत्र रामप्रसाद निवासी भागीरथी विहार गली नं0 13 गोकुलपुरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्तों उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनो छोटा हाथी चलाते है। अभियुक्त इस्तकबाल ने बताया कि हम दोनो रामकुमार की स्कूटी लेकर गाजियाबाद आए थे हम दोनों के मन में लालच आ गया था। हमने सोचा की भैस को जहरीला पदार्थ खिला देते है। जिससे भैस मर जाएगी। फिर हम दोनों बाद में पूछते हुये आएगे की भैस कैसे मर गई है। और मालिक हमारे छोटे हाथी से मरी हुई भैस को ले जाने के लिये बोलेगा और हम उस भैस को ले जाकर बेच देगे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. इस्तकबाल पुत्र मौ0 आफाक निवासी दोताई गढगंगा जनपद हापुड उम्र करीव 37 वर्ष।
2.चाँद पुत्र रामप्रसाद निवासी भागीरथी विहार गली न0 13 गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद